न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/288

काली बाई पुत्री स्व0 श्री बाल किशन पत्नी स्व0 श्री कजोड़ निवासी देवली अरब, तहसील लाडपुरा कोटा जर्ये मुख्तारआम विनोद कुमार मेहरा पुत्र श्री नाथूलाल निवासी सरकारी स्कुल के पास, कोटड़ी कोटा (राज0)।

––अपीलांटगण

बनाम

1. छीतर लाल आत्मज स्व0 रामकिशन नायक निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. तहसीलदार लाडपुरा कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 18.11.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 52/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी अपीलांट ने वाद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 90, 92–ए, 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादिनी के दादा गणेश आत्मज नारायण थे जिनका देहावसान काफी अर्से पूर्व हो चुका हैं। गणेश जी के एकमात्र संतान बालकिशन जी थे जिनका भी देहावसान हो चुका है। बालकिशन जी की पत्नी गुलाब बाई थी जिनका भी देहावसान हो चुका है। बालकिशन जी की एकमात्र पुत्री वादिनी है। इस प्रकार गणेश जी, बालकिशन जी व गुलाब बाई के देहावसान के पश्चात् उनकी एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी वादिनी है, वादिनी के दादा गणेश जी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी गत खसरा नम्बर 26 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा, खसर, नम्बर 347 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल 2 किता की 29 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम भोजपुरा, तहसील

गणेश के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात जिसका खसरा नम्बर गत

<u>अपील संख्या 2025/288</u>
<u>काली बाई बनाम छीतरलाल, सरकार</u>

लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात के हाल सैटलमेन्ट सम्वत् 2038 से 2057 के पश्चात् नये खसरा नम्बर 106 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 2. 69 हैक्टर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.31 हैक्टर कुल 4 किता की रकबा 4.55 हैक्टर कायम किये गये है। गणेश जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी उनके वारिस व उत्तराधिकारी पुत्र बालकिशन को प्राप्त हुई है। बालकिशन जी के दैहान्त के पश्चात् उक्त कृषि आराजी उनकी पत्नी गुलाब बाई व पुत्री वादिनी तथा गुलाब बाई के दैहान्त के पश्चात् उनकी एकमात्र वारिस वादिनी को प्राप्त हुई है। जिस पर वादिनी बहैसियत खातेदारी काबिज काश्त रही है। वादिनी ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी नम्बर–1 से पांती काश्त की गई थी। वादिनी व प्रतिवादी नम्बर–1 के मध्य यह तय हुआ था कि प्रतिवादी नम्बर–1 प्रतिवर्ष उक्त कृषि आराजीयात मे प्राप्त फसल का आधा हिस्सा वादिनी को अदा करेगा। प्रतिवादी नम्बर–1 प्रतिवर्ष उक्त कृषि भूमि में प्राप्त फसल का आधा हिस्सा वादिनी देता रहा है, किन्तु गत दीपावली वर्ष 2012 में खरीफ की फसल पर वादिनी ने प्रतिवादी नम्बर–1 से उक्त कृषि भूमि मे से प्राप्त फसल का अपना आधा हिस्सा मांगा, तो प्रतिवादी नम्बर–1 ने वादिनी को हिस्सा देने से मना कर दिया और कहा कि उक्त कृषि भूमि तो प्रतिवादी नम्बर–1 स्वयं के नाम दर्ज हो चुकी है और अब वह वादिनी को कोई भी हिस्सा नही देगा, इस पर वादिनी को बडा आश्चर्य हुआ और उसने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो यह देखकर दंग रह गई कि प्रतिवादी नम्बर–1 ने राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयों से मिली भगत कर गलत व गैर कानूनी रूप से उक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करा ली है। कानूनन गणेश जी की मृत्यु पश्चात् उनकी खातेदारी की उक्त कृषि आराजी उनके वारिस व उत्तराधिकारी पुत्र बालकिशन को प्राप्त हुई है। गणेश जी ने अपनी विवाहिता पत्नी नारायणी बाई के दैहान्त के पश्चात् मोडी बाई को मजरखा रखा हुआ था, किन्तु गणेश जी के दैहान्त के पश्चात् मोडी बाई ने स्वयं को गणेश जी की बेवा बताकर और बालकिशन की मृत्यु होना बताकर गणेश जी के वास्तविक वारिसान गुलाब बाई व वादिनी के होने के तथ्यो को छुपाकर सैटलमेन्ट कर्मचारियो व अधिकारीयों से मिली भगत कर उक्त कृषि आराजी गलत व गैरकानूनी रूप से अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करा ली। वास्तविकता मे मोडी बाई गणेश जी की पत्नी नही थी, बल्कि मोडी बाई तो श्री ग्यारसीराम निवासी किशनपुरा, कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवाहिता पत्नी थी, जिसके ग्यारसीराम के नुत्फे से चार पुत्रिया पुष्पा, गोपाली, भूली बाई व रघुनाथी है। गणेश जी ने मोडी बाई को मजरखा के रूप में रखा हुआ था और गणेश जी के मृत्यु पश्चात् उक्त कृषि आराजी में मोडी बाई के कोई भी हक व अधिकार निहित नही थे, किन्तु गणेश जी के दैहान्त के पश्चात् मोडी बाई ने पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से स्वयं

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

को गणेश जी की पत्नी बताकर एवं गलत रूप से गणेश जी के वारिस बालकिशन, गुलाब बाई व वादिनी के तथ्यो को छुपाकर उक्त कृषि आराजी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली और फिर प्रतिवादी नम्बर–1 ने उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज मोडी बाई के नाम का नाजायज फायदा उठाकर मोडी बाई के दैहान्त के पश्चात् स्वयं को मोडी बाई का दत्तक पुत्र बताकर उक्त कृषि आराजी गलत व गैर कानूनी रूप से अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवा ली। मोडी बाई गणेश जी की विवाहिता पत्नी नही थी, जिसके कारण कानूनन गणेश जी के दैहान्त के पश्चात् उनके खातेदारी की उक्त वादग्रस्त आराजीयात में मोडी बाई को कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नही होते, जिसके कारण मोडी बाई द्वारा गोद लेने के आधार पर उक्त कृषि आराजीयात मे प्रतिवादी नम्बर–1 को भी कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते। गणेश जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम खेडा, ग्राम मण्डानीय, ग्राम भोजपुरा स्थित अन्य कृषि आराजीयात भी गणेश जी की मृत्यु पश्चात् उनके वारिस पुत्र बालकिशन व बालकिशन जी की मृत्यु पश्चात् उनकी बेवा गुलाब बाई व गुलाब बाई के देहान्त के पश्चात् वादिनी के नाम दर्ज की गई है, जिसके कारण वादग्रस्त आराजीयात भी गणेश जी के दैहान्त के पश्चात् बालकिशन जी व उनके दैहान्त के पश्चात् वादिनी के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी और यह स्पष्ट है कि उक्त कृषि आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में मोडी बाई व उनकी मृत्यु पश्चात् दर्ज किया गया प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम का इन्द्राज पूर्णतया गलत, गैर कानूनी व अवैधानिक है, जिससे प्रतिवादी नम्बर–1 को उक्त कृषि आराजीयात मे कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। गणेश जी की उक्त खातेदारी की आराजीयात वादिनी की पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमे वादिनी का जन्म से ही अधिकार निहित है और उक्त कृषि आराजीयात मे प्रतिवादी नम्बर–1 को कोई भी खातेदारी हक, हकूक प्राप्त नही होते। उक्त कृषि आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी नम्बर–1 का नाम पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है। किन्तु फिर भी प्रतिवादी नम्बर–1 उक्त गलत व गैर कानूनी रूप से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने नाम का गलत फायदा उठाकर उक्त कृषि आराजी को बेचान व खुर्दबुर्द करने के प्रयास मे लगा हुआ है, जबरदस्ती व ताकत के बल पर कब्जा कर वादिनी को काश्त नहीं करने दे रहा है, जिसका प्रतिवादी नम्बर–1 को कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिनी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय के सहायता से वादग्रस्त कृषि आराजी का स्वयं का खातेदार घोषित करवावे एवं तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुए स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाये और साथ ही उक्त कृषि आराजी से प्रतिवादी नम्बर–1 को बेदखल करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्त करे। वादिनी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व मे वाद पेश किया गया था, जो वादिनी द्वारा नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ दिनांक 23.08.2013 को वापिस लिया गया, इसके पश्चात् वादिनी द्वारा

यह वाद पेश किया जा रहा है तर्थ वाद पेश है। प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा वादिनी को उक्त कृषि आराजीयात को बेचान व खुर्दबुर्द करने और उसे काश्त ना करने देने की लगातार धमकिया दी जा रही है, अभी दिनांक 09.04.2018 को भी प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा वादिनी को उक्त आराजी को बेचान व खुर्दबुर्द करने की धमकी दी गई है। वाद कारण प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा वादग्रस्त कृषि आराजीयात पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से अपने नाम दर्ज करवा लेने और फिर अभी दीपावली 2012 में वादिनी को खरीफ की फसल का हिस्सा देने से मना करने और जबरदस्ती कब्जा कर वादिनी को काश्त नही करने देने, इस पर वादिनी द्वारा प्रतिवादी नम्बर–1 के विरूद्ध वाद पेश करने, न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08. 2013 को वादिनी को पुनः नया वाद पेश करने की अनुमति देने, इसके पश्चात् प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा पुनः वादिनी को वादग्रस्त भूमि को बेचान व खुर्दबुर्द करने की धमकी देने पर दिनांक 09.04.2018 को उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी नम्बर–2 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। कानूनन प्रतिवादी नम्बर–2 को वाद प्रस्तुति से पूर्व धारा 80 जाप्ता दीवानी का नाटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत वाद अर्जेन्ट नेचर व इमीजियट रिलीफ का होने से धारा 80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना व अवधि का इन्तजार किया जाना संभव नही है। इसलिए नोटिस से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी अलग से पेश है। वादिनी द्वारा अपने और से विधिक कार्यवाहियां करने, वाद संस्थित करने आदि कार्य करने हेतु विनोद मेहरा को अपना मुख्तारआम नियुक्त किया हुआ है जिस पर उक्त वाद जरिये मुख्तार आम पेश किया जा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादिनी ने निवेदन किया कि वादिनी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद नम्बर–2 व 3 में वर्णित कृषि आराजीयात हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 2.69 हैक्टर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.31 हैक्टर कुल 4 किता की रकबा 4.55 हैक्टर वाके ग्राम भोजपुरा, पटवार हल्का खेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा का वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी नम्बर–1 का नाम हटाकर उसके स्थान पर वादिनी का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर अमल दरामद किया जावे और प्रतिवादी नम्बर–1 को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करके मौके पर कब्जा वादिनी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर–1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी नम्बर–1 उक्त कृषि भूमि और उसके किसी भी हिस्से को बेचान, दान, रहन व अन्यथा खुर्द बुर्द न करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

<u>अपील संख्या 2025/288</u>
<u>काली बाई बनाम छीतरलाल, सरकार</u>

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2018 को वादीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भोजपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 106 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा संख्या 113 रकबा 2.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 166 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 4.55 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादीया अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किए जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2018 को अपने निर्णय दिनांक 18.05.2018 को रिव्यु किया जाकर निर्णय दिनांक 18.05.2018 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत प्रतिवादी संख्या 1 छीतरलाल दत्तक पुत्र गणेश की खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2018 से व्यथित होकर वादिनी अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2018 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम के धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आदेश दिनाक 27.07.2018 के विरूद्ध अपीलांट की ओर से राजस्व न्यायालय में एक निगरानी सं0 5915/2018 चल रही थी और उसका अभी कुछ दिनों पूर्व ही निर्णय हुआ है तथा उपरोक्त निगरानी में आदेश दिनांक 27.07.2018 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में पेश करने की हिदायत दी है। अतः उक्त अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को

कन्डोन किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य असत्य एवं निराधार है तथा स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2018 की जानकारी थी। उसके बाद भी 7 वर्षो के विलम्ब के बाद अपील पेश की तथा विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। अतः अपील अपीलांट विलम्ब से पेश होने से मियाद के बिन्दू पर खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18/05/2018 को लोक अदालत केम्प में दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त मेरिट पर दिनांक 18/05/2018 को निर्णय व डिक्री पारित किया है तो अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेंट कम–01 के आवेदन पर दिनांक 27/07/2018 को उपरोक्त डिक्री व निर्णय को निरस्त करने का अपीलांट को सुने बिना कोई अधिकार प्राप्त नही था इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27/07/2018 नॉन स्पीकिंग आदेश की परिधि में आता है जो निरस्त किये जाने योग्य है। सीपीसी में वर्णित प्रावधान अनुसार रिव्यू के सम्बन्ध में लिमिटेड धारणा की गई है। यदि कोई निर्णय में तकनीकी त्रुटि हो गई अथवा ऐसे कोई दस्तावेज़ का अवलोकन करने से रह गया तब ही कोई आदेश को रिव्यू किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख ऐसी कोई स्थिति नही थी तथाकथित गोद पुत्र के सम्बन्ध में पूर्व में रिकार्ड मोजूद था जिसे गोर करने के उपरान्त ही दिनांक 18/05/2018 को निर्णय पारित किया था जिसे रिव्यू के आधार पर निरस्त नही किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना आदेश दिनांक 27/07/2018 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट को यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/05/2018 से आपत्ति थी तो वह उपरोक्त डिक्री व निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र था लेकिन रेस्पोडेंट नम्बर–01 ने दिनांक 18/05/2018 के विरुद्ध कोई अपील नही की तो ऐसे में उपरोक्त निर्णय अन्तिम हो गया तथा ऐसी डिक्री व निर्णय को रिव्यू आवेदन में निरस्त नही किया जा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई गोर किये बिना ही आदेश दिनांक 27/07/2018 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश दिनांक 27/7/2018 के विरुद्ध अपीलांट की ओर से राजस्व न्यायालय में एक निगरानी संख्या 5915/2018 चल रही थी और उसका अभी चन्द दिनों पूर्व निर्णय हुआ है तथा उपरोक्त निगरानी में आदेश दिनांक 27/07/2018 के विरुद्ध सक्षम

न्यायालय में पेश करने की हिदायत दी है। इसलिये उपरोक्त अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। तथा अपील पेश करने में हुई डिले सद्‌भाविक है जिसे कण्डोन किया जावें। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 27/07/2018 का निर्णय निरस्त फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18/05/2018 बहाल किए जाने के आदेश फरमाए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गयी है, दिनांक 27.7.2018 के आदेश के विरूद्ध दिनांक 24.7.2025 को प्रस्तुत की है। जो स्पष्टतः 7 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। उसकी देरी कंडोन करने के बाबत विशिष्ट व संतोषप्रद कारण नही बताये है, बल्कि तथ्य छिपाकर मिथ्या तथ्यो पर अपील प्रस्तुत की है, वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.5.2018 को उपखंड अधिकारी के द्वारा डिक्री पारित की थी वह निश्चित रूप से अशुद्ध थी जिसकी कोई रिव्यु रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत नही की मात्र अपील दायर की थी जिसमे स्थगन आदेश हुआ। प्रकरण अधीनस्थ न्यायलय में अपीलांट द्वारा धारा 88,188 आर टी एक्ट के तहत प्रस्तुत हुआ था जिसकी जवाबदावे की तारीख 18.5.2018 दी गयी किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रियाओ का उल्लंघन करते हुए दिनंक 18.5.2018 को ही केम्प न्यायालय मे जो मूल वाद बादीनी का है, 88,188 आर टी एक्ट का था उसमे 183 आर टी एक्ट के तहत कब्जा दिलाने की डिक्री पारित कर दी गयी जिसकी वेधता की शिकायते रेस्पो. द्वारा की गयी जिस पर न्यायालय ने यह माना कि उसे निर्णय देने मे शुद्ध रूप से त्रुटि हुई है, तथा उक्त निर्णय दिनांक 18.5.2018 को पुर्नविचार करके दिनांक 27.7.2018 को निर्णय परिवर्तित किया गया। जिसकी प्रारंभिक जानकारी व स्थिति से ही अपीलांट व उसके तथाकथित मुख्तार आम को रही है, उसने छल पूर्वक बेईमानी से तथ्य छिपाकर 7 वर्ष बाद यह अपील दायर की है, जबकि उसको दिनांक 27.7.2018 को ही उक्त तथ्य की जानकारी थी। अपीलांट ने दिनांक 27.07.18 के आदेश की जानकारी होनें पर सन् 2018 मे ही निगरानी कमांक 5915/18 कालीबाई व उसके मुख्तार आम के द्वारा राजस्व मंडल अजमेर मे दायर की गयी राजस्व मंडल अजमेर मे उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 20.01.2023 तक रही राजस्व मंडल अजमेर ने दिनांक 20.1.23 को अपीलांट की निगरानी यह कहते हुए खारिज कि अधीनस्थ न्यायालय ने 18.5.2018 को गलत निर्णय पारित किया था ओर उसने जानकारी आने पर उसने सही रूप से दिनांक 27.7.2018 को जो निर्णय पारित किया है, उसमे कोई त्रुटि नही है, बल्कि दिनांक 27.7.2018 के निर्णय की पुष्टि की जाती है, इन सब तथ्यो की जानकारी अपीलांट व उसके मुख्तार आम को थी इसके बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी

माननीय न्यायालय में यह अपील उसी निर्णय के विरूद्ध दिनांक 24.7.2025 को प्रस्तुत की है, जो झूठी मिथ्या तथ्यो को छिपाकर की है, जो अपराधिक प्रवृति की ताईद में आती है। दिनांक 20.1.2023 के निर्णय स्वयं वादीनी की जानकारी में हुआ उसके द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे हुआ उसके भी दो वर्ष तीन माह तक अपीलांट कया करते रहे कोई कारण नही बताया जबकि राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 20.01.23 आदेश मे यह माना है कि निर्णय दिनांक 27.07.2018 की पुष्टि की है, ओर उसमे स्पष्ट लिखा है कि न्यायालय अगर त्रुटि करता है, तो उस पर पुर्नविचार करने को सक्षम है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा बिना किसी अधिकार के समयबाधित तथ्यो का मिथ्या वर्णन करते हुए सशपथ झूठे बयान देते हुए न्यायालय को भ्रमित करने के लिए मिथ्या शपथपत्र प्रस्तुत कर यह अपील पेश की है, जिसके विरूद्ध अपराधिक प्रसंज्ञान लिया जाना चाहिये। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 क्रम 01 ने अपील अपीलांट खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा । हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.05.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2018 को पत्रावली न्याय आपके द्वार–2018, लोक अदालत केम्प कोर्ट खेडा रसूलपुर में रखी गई तथा दिनांक 18.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट में वादीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भोजपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 106 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा संख्या 113 रकबा 2.69 हैक्टेयर, खसरा संख्या 166 रकबा 0. 06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 4.55 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादीया अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने तथा

वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किए जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.07.2018 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2018 को पूर्व में पारित अपने निर्णय व डिकी दिनांक 18.05.2018 को पुर्नविलोकन करते हुए दिनांक 18.05.2018 को लोक अदालत केम्प कोटा में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 18.05.2018 को निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत प्रतिवादी संख्या 1 छीतरलाल दत्तक पुत्र गणेश के खांते दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 के विरूद्ध वादीया अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई जो माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण संख्या निगरानी टी0ए0 संख्या 5915 सन् 2018 पर दर्ज रजिस्टर की गई। उक्त निगरानी संख्या 5916 सन् 2018 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.01.2023 के द्वारा खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 52/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2018 की पुष्टि किए जाने का आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जिस निर्णय दिनांक 27.07.2018 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है, उक्त निर्णय दिनांक 27.07.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 27.07.2018 की पुष्टि की जा चुकी है। वादीया अपीलांट ने प्रश्नगत निर्णय दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में यह अपील दिनांक 21.07.2025 को पेश की है जबकि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध वादीया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निगरानी को दिनांक 20.01.2023 को ही खारिज किया जा चुका है। अतः अपीलांट को न्यायालय हाजा में अपील पेश करने से पूर्व ही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रश्नगत आदेश 27.07.2018 की पुष्टि किए जाने की भलीं–भांति जानकारी रही है। अपीलांट को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2023 की जानकारी होने के बावजूद भी वादीया अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.01.2023 में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2018 में कोई अनियमितता नहीं होना अंकित किया है। अतः हमारे मत में जिस निर्णय दिनांक 27.07.2018 को उच्चतर स्तर के न्यायालय द्वारा पुष्टि करते हुए कोई अनियमितता नहीं होना स्वीकार स्वीकार किया गया है, उसी निर्णय दिनांक 27.07.2018 में न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मूलवाद की पत्रावली का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है तथा मूलवाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, अतः ऐसी स्थिति में वादीया अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में विधिक प्रकिया के तहत अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपने निर्णय दिनांक 20.01.2023 में पक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है। अतः हमारे मत में वादीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 20.01.2023 की पालना में विधिवत् रूप से सुनवाई करते हुए प्रकरण का गुणवावगुण पर अंतिम रूप से निरस्तारण करें। उभयक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 18.11..2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा